

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या-514/2018

आदेश दिनांक:-

05.09.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री सारांश सैनी

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :-

प्रत्यर्थीगण को नये सिरे से नोटिस चार सप्ताह की वापसी के लिए जारी किए जावें । योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

नोटिस वास्ते तामील योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को दस्ती प्रदान किए जावें ।

प्रार्थना पत्र संख्या-01/2019 इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)